निर्णय व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 34/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. परसादी पुत्र गोमा
2. जगन्नाथ पुत्र परसादी
3. मातादीन पुत्र परसादी
4. हेमराज पुत्र परसादी
5. पूरण पुत्र परसादी
6. भगवानसहाय पुत्र कुशा ल
7. सुभाष पुत्र भगवान सहाय
8. महेश पुत्र भगवानसहाय
9. गंगाराम पुत्र जगन्नाथ
10. रामकरण पुत्र जगन्नाथ
11. रामकरण पुत्र जगन्नाथ
12. रामनिवास पुत्र जगन्नाथ

समस्त जाति यादव अहीर, निवासी ग्राम भगतपुरा, तन जयसिंहपुरा, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री राजवीर सिंह यादव आ ए एस उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर।
2. मंगली पत्नी गोपीराम जाति यादव अहीर, निवासो ग्राम भगतपुरा, तन जयसिंहपुरा, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
3. तहसीलदार विराटनगर, जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 04/2021 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 04/2021 (10/2021) ब उनवानी मंगली बनाम परसादी वगैरह को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री हेमन्त दीक्षित अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2. हिमान्शु सोगानी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से है।

जिला कलक्टर
जयपुर

निर्णय दिनांक 16.03.2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के समक्ष प्रकरण संख्या 04/2021 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या

04/2021 (10/2021) व उनवानी मंगली बनाम परसादी वगैरह विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नही हुई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री हिमान्शु सोगानी ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण का पूर्व से ही वाद संख्या 24/2012 व टी आई संख्या 25/2012 उनवानी मूला वगैरह बनाम रूडा वगैरह लम्बित है, जिसमें दिनांक 07.05.2012 को टी आई जारी करके अप्रार्थीगण को पाबन्द किया हुआ है, किन्तु इसके पश्चात भी पीठासीन अधिकारी विराटनगर ने अप्रार्थी के नये वाद उनवानी मंगली बनाम परसादी मु॰ नं॰ 4/2021 व टी आई प्रार्थना पत्र संख्या 4/2021 (10/2021) के माध्यम से दिनांक 12.01.2021 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करके दिनांक 10.02.2021 तक प्रार्थीगण को भी टी आई से एक पक्षीय रूप से पाबन्द कर दिया । जिस कारण प्रार्थी को यह युक्ति युक्त आशंका हो गई कि उसे अधीनस्थ न्यायालय से कतई न्याय प्राप्त नही हो सकेगा। इस कारण उक्त प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। दिनांक 27.01.2021 को जब वादीगण प्रार्थीगण अपने पुराने वाद संख्या 34/2012 उनवानी भूला वगैरह बनाम रूडा वगैरह की पेशी पर गये तो उन्होंने विपक्षी पक्षकारान को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर से निकलते हुए देखा तथा बाहर आकर उन्होंने प्रार्थी को एलानिया रूप से धमकी दी कि अब हमने अधिकारी पर दबाव डाला दिया है तथा हम बहुत ही राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है तथा तुम्हारे पक्ष में जारी टी आई को हम जल्द ही खारिज करा देंगें। इससे पश्चात प्रार्थीगण अपने अभिभाषक के पास तारीख पेशी लेने पहुंचा तो उन्होंने बताया कि उक्त प्रकरण में पेशी 02.02.2021 दी है। तब हमें और पक्की आशंका हो गई कि आज अचानक ही इस प्रकरण में इतनी नजदीक की मात्र 6 दिन की तारीख पेशी क्यो दी गई इसके पश्चात प्रार्थीगण दिनांक 02.02.2021 को पेशी पर न्यायालय में गये तो पीठासीन अधिकारी ने खुले रूप में ही हमारे अभिभाषक को कहा कि इस वाद में जल्दी जल्दी कार्यवाही करे मुझे फैसला करना है तथा पेशी 10.02.2021 नियत कर दी। उक्त सभी गतिविधियों व न्यायालय की कार्य प्रणाली से प्रार्थीगण को यह युक्ति युक्त आशंका उत्पन्न हो चुकी है कि उसे पीठासीन अधिकारी विराटनगर से कोई न्याय प्राप्त नहीं हो सकेगा । इस कारण भी उक्त दोनों प्रकरणों को किसी अन्य सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में अन्तरित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः न्यायहित में प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में हस्तान्तरित किया जाने के आदेश फरमावे।

जिला कलक्टर
जयपुर

5. अप्रार्थी अधिवक्ता का कहना है कि प्रार्थीगण ने एक पक्षीय स्थगन प्राप्त कर रखा है इसलिए प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब करने की नियत से मिथ्या कथन

अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के पीठासीन अधिकारी से टिप्पणी चाही गई थी, किन्तु प्राप्त नहीं हुई है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 04/2021 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 04/2021 (10/2021) ब उनवानी मंगली बनाम परसादी वगैरह को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा में मुन्तकिल किया जाता है।

9. पक्षकारान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 19.04.2021 को उपस्थित हो। उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

10. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्व कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा एवं उपखण्ड अधिकारी विराटनगर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

16/3/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर